राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

न्यायालय सं0–5

उपस्थित–माननीया श्रीमती अनिता राज, सदस्य (न्यायिक)

याचिका सं0 631/2026

अजीत कुमार, उम्र लगभग 34 वर्ष, पुत्र श्री सिरपत राम, निवासी-काटा, कंटा, जनपद-चंदौली।

. . . .याची

बनाम

1. उ0प्र0 राज्य द्वारा प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव गृह, उ0प्र0 सिविल सचिवालय, लखनऊ।

2. पुलिस उपमहानिरीक्षक, आज़मगढ़ परिक्षेत्र, आज़मगढ़।

3. पुलिस अधीक्षक, बलिया।

. . . .विपक्षीगण

याची के विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक पटेल उपस्थित।
वास्ते विपक्षीगण विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी।

निर्णय

(मा0 श्रीमती अनिता राज, सदस्य, न्यायिक द्वारा श्रुतलेखित)

याची द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम 1976 की धारा–4 के अंतर्गत विपक्षी संख्या-3 द्वारा पारित आलोच्य परिनिन्दा संबंधी दण्डादेश दिनांकित 18.08.2025, (संलग्नक–1) एवं विपक्षी संख्या-2 द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांकित 11.11.2025 (संलग्नक–2) को निरस्त करते हुए याची के रोके गए समस्त पारिणामिक सेवालाभ तथा उसके निलंबन अवधि दिनांक 21.10.2024 से 30.10.20245 तक का वेतन प्रदान कराये जाने हेतु विपक्षीगण को निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

कोई त्वरित व लाभकारी उपचार जो माननीय अधिकरण न्यायहित में उचित समझे मय वादव्यय याची को प्रदान कराया जाने हेतु निर्देशित किया जाये।

2. संक्षिप्त में याचिका के तथ्य इस प्रकार है कि याची वर्तमान में आरक्षी के पद पर कार्यरत है और उसका कार्य एवं आचरण अपने उच्चाधिकारियों के प्रति संतोषजनक रहा। याची वर्ष 2024 में थाना सुखपुरा, बलिया में नियुक्ति के दौरान दिनांक 20.10.2024 को प्रभारी निरीक्षक सुखपुरा द्वारा थाना सुखपुरा पर मु0अ0सं0 309/2024 धारा 60/60(2) आबकारी अधि0 एवं धारा 374/375 बीएनएस 06 अभियुक्तों के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया, जिसकी प्रारंभिक विवेचना निरीक्षक अपराध केशव प्रसाद द्विवेदी को सुपुर्द हुयी। जिसमें अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मेडिकल कराने व मा0 न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 20.10.2024 को रवाना किया गया था। ड्यूटी में लगे कर्मचारीगणों को सेकेण्ड मोबाइल में सभी अभियुक्तों व आरक्षीगण को जगह पर्याप्त न होने के कारण उक्त प्राइवेट आटो में छः अभियुक्तों के साथ याची सहित अन्य आरक्षी बैठकर चले गये। अभियुक्तों को पेशी हेतु ले जाते समय याची की अभिरक्षा से एक अभियुक्ता ज्ञान्ती देवी आटो वाहन से कूदकर भाग गयी। याची द्वारा मुल्जिमों को पेशी हेतु ले जाने के लिए अपने कर्तव्यों के प्रति सजग या सतर्क रहता तो उक्त अभियुक्ता याची की अभिरक्षा से फरार नहीं होती। इस संबंध में प्रकरण की जाँच करायी गयी जिसमें यची को दोषी पाये जाने पर मय प्रारंभिक जाँच आख्या के प्रति कारण बताओ नोटिस दिनांकित 05.01.2025 (संलग्नक-4) याची पर निम्न आरोप लगाते हुए स्पष्टीकरण दाखिल किये जाने हेतु निर्गत की गयी-

> **"जब यह आरक्षी वर्ष-2024 में थाना सुखपुरा, बलिया में नियुक्त था तो दिनांक 20.10.2024 को प्रभारी निरीक्षक सुखपुरा द्वारा थाना सुखपुरा पर मु0अ0सं0 309/2024 धारा 60/60(2) आबकारी अधि0 एवं धारा 374/375 बीएनएस 06 अभियुक्तों के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया, जिसकी प्रारंभिक विवेचना निरीक्षक अपराध केशव प्रसाद द्विवेदी को सुपुर्द हुयी। उक्त अभियोग के अभियुक्तगण 1-मनोज कश्यप पुत्र गुलाब कश्यप निवासी मेरीटार, थाना बॉसडीह, बलिया, 2-ओमप्रकाश कश्यप पुत्र भीम कश्यप, 3-मुन्नी देवी पत्नी ओमप्रकाश कश्यप, 4-देवरजिया पत्नी शिवजी कश्यप, 5-लालमुन्नी, 6-ज्ञान्ती देवी पन्ती**

राजेश कश्यप निवासीगण ग्राम-सूर्यपुरा थाना-सुखपुरा, बलिया की गिरफ्तारी कर नियमानुसार मेडिकल कराने व मा0 न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु थाना कार्यालय में आरक्षीगण क्रमशः इसके साथ आरक्षी विपिन कुमार, आरक्षी अनन्त कुमार व महिला आरक्षी तबस्सुम बानो, महिला आरक्षी कविता चौहान, महिला आरक्षी सुमन पाल के साथ हो0गा0 दीनानाथ, हरिनाथ मय सेकेण्ड मोबाइल यूपी 60जी-0231 मय चालक हो0गा0 अरविन्द यादव की लगा करके थाना-सुखपुरा के रो0आम0 रपट नं0 22समय 13.52 बजे दिनांक 20.10.2024 को रवाना किया गया था. समय करीब 2.30 बजे ड्यूटी में लगे कर्मचारीगण को प्रभारी निरीक्षक एवं निरीक्षक अपराध द्वारा थाना कार्यालय गेट के सामने मुल्जिमों को निकाल कर फोटोग्रीफी मय बरामद शुदा सामानों की वीडियोग्राफी कराकर सेकेण्ड मोबाइल में बैठाया गया। सेकेण्ड मोबाइल में सभी अभियुक्तगण व आरक्षीगण को बैठने की पर्याप्त जगह न होने पर निरीक्षक अपराध द्वारा प्राईवेट आटो बुलाया गया। आटो में उक्त 06 अभियुक्त के साथ हो0गा0 हरिनाथ, हो0गा0 दीनानाथ, आरक्षी विपिन सिह एवं महिला आरक्षी, कविता चौहान बैठकर चले गये। यह व आरक्षी अनन्त एवं महिला आरक्षी तबस्सुम बानो तथा सुमन पाल थाना परिसर में ही मौजूद रहे। सेकेण्ड मोबाइल भी थाने में खड़ी रही। 10 मिनट बाद सूचना मिली कि एक अभियुक्ता ज्ञान्ती देवी पन्ती राजेश कश्यप आटो वाहन से कूद कर भाग गयी। इसिकी मुल्जिम पेशी ड्यूटी लगी हुई थी तथा थाना सुखपुरा से नियमानुसार रवानगी भी हुई थी, परन्तु इसके द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं अकर्मण्यता का परिचय देते हुए मुल्जिमों के साथ पेशी ड्यूटी पर न जाकर थाना परिसर में ही मौजूद रहा, जिसके कारण उक्त अभियुक्ता पुलिस कस्टडी से फरार हो गयी, यिद इसके द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के प्रति सतर्क होकर धाने से रवानगी होने के पश्चात नियमानुसार मुल्जिम पेशी ड्यूटी में अन्य कर्मियों के साथ गया होता तो कदाचित ऐसी स्थिति कदापि उत्पन्न नहीं होती, परन्तु इसके द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जिसके कारण इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई। इसका उक्त कृत्य पदीय कर्तव्य निर्वहन के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता, अकर्मण्यता एवं अनुशासनहीनता का परिचायक है, जिसकी "परिनिन्दा" की जीती है।"

3. याची को उक्त कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने के पश्चात उससे 15 दिवस के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की गयी। याची द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक 18.01.2025 को दाखिल किया गया। जिसके उपरान्त आलोच्य आदेश पारित किया गया।याची द्वारा कथन किया गया है कि आलोच्य दंडादेश दिनांकित 18.08.2025 (संलग्नक-1) याची को सुनवायी का अवसर दिये बिना अमुखरित एवं कारण रहित आदेश पारित किया गया है। प्रश्नगत दंडादेश पारित किये जाने से पूर्व याची के विरुद्ध उक्त आलोच्य दंडादेश में कोई कारण नहीं दर्शाया गया है। याची द्वारा प्रश्नगत दंडादेश दिनांकित 18.08.2025 से विक्षुब्ध होकर विपक्षी संख्या-2 अपीलीय अधिकारी के समक्ष विस्तृत बिन्दुओं का उल्लेख करते हुए अपील दाखिल की गयी, जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील पर बिना विचार किये ही एवं याची को बिना सुनवायी का अवसर प्रदान किये अपने आदेश दिनांकित 11.11.2025 (संलग्नक-2) द्वारा उसकी अपील को निरस्त कर दिया गया। तदनुसार याची द्वारा उपरोक्त आदेशों से क्षुब्ध होकर अधिकरण के समक्ष याचिका योजित की गयी।

4. लिखितविवेचन/प्रतिशपथपत्र दिनांकित 11.06.2026 प्रस्तुत करते हुए विपक्षीगण द्वारा कथन किया गया है कि याची वर्ष कि याची जब वर्ष 2025 थाना सुखपुरा बलिया में आरक्षी के पद पर नियुक्ति के दौरान उसके द्वारा राजकीय सेवा में बरती गंभीर अनियमितताओं के दृष्टिगत उसे सेवा से निलंबित किया गया प्रकरण की जाँच करायी गयी जाँच में राजकीय सेवा में की गयी अनियमितता पाये जाने पर अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं अकर्मण्यता का परिचय देते हुए अभियुक्तों के साथ पेशी ड्यूटी पर न जाकर थाना परिसर में ही मौजूद रहा, जिसके कारण अभियुक्ता ज्ञान्ता देवी पुलिस कस्टडी से फरार हो गयी। यदि याची अपने कर्तव्य के प्रति सतर्क होकर थाने से रवानगी होने के पश्चात नियमानुसार मुल्जिम पेशी ड्यूटी में अन्य कर्मियों के साथ गया होता तो कदाचित ऐसा स्थिति कदापि नहीं होती। परन्तु याची द्वारा ऐसा नहीं किया गया याची का उक्त पदीय कर्तव्य निर्वहन के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता अकर्मण्यता एवं अनुशासनहीनता का द्योतक है।

उपरोक्त प्रकरण से संबंधित जाँच के दौरान याची एवं अन्य संबंधित कर्मचारियों के बयान अभिलिखित किये गये तथा अभिलेखीय साक्ष्यों का परीक्षण एवं समीक्षा में निष्कर्ष स्वरूप थाना परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरा को देखने के पता चला कि प्रभारी निरीक्षक योगेन्द्र प्रसाद सिंह व निरीक्षक केशव प्रसाद द्विवेदी की उपस्थिति में रवानाशुदा सेकेण्ड मोबाईल से अभियुक्ता को न भेजकर प्राइवेट वाहन आटो से भेजा जा रहा है, तथा याची व आरक्षी अनन्त कुमार, महिला आरक्षी तबुस्सुम बानो व सुमन पाल थाना परिसर में घूमने के फलस्वरूप याची के विरूद्ध आरोप सिद्ध पाया गया तथा याची के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। याची द्वारा स्पष्टीकरण सक्षम अधिकारी से समक्ष प्रस्तुत किया गया याची द्वारा अपने स्पष्टीकरण में प्रारंभिक जाँच आख्या का विधि सम्मत व समुचित खण्डन नहीं किया गया, न ही उसे विदूषित स्थापित नहीं किया गया, जिसके आधार पर याची के विरूद्ध दंडादेश पारित किये जाने का पर्याप्त कारण आधार पाये गये।

5. लिखितविवेचन/प्रतिशपथपत्र के विरुद्ध याची द्वारा प्रत्युत्तरशपथपत्र दिनांकित 14.06.2026 प्रस्तुत किया गया है। याची द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तरशपथपत्र में अधिकांशतः याचिका के अभिकथनों की पुनरावृत्ति की गयी है।

6. निस्तारण के क्रम में मैंने याची की ओर से उसके अधिकृत विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक पटेल एवं विपक्षीगण की ओर से उपस्थित विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकरी द्वारा उठाये गये तर्कों को सुना एवं अभिलेखों का सम्यक परिशीलन किया।

7. याची पर यह आरोप लगाया गया है कि दिनांक 20.10.2024 को उसे व अन्य पुलिस कर्मियों को 06 अभियुक्तगण का मेडिकल कराने व न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु रो0आम0 रपट संख्या 22 समय 13.52 बजे थाना कार्यालय से रवाना किया गया था। करीब 2.30 बजे ड्यूटी में लगे कर्मचारीगण को प्रभारी निरीक्षक एवं निरीक्षक अपराध द्वारा गेट के सामने मुल्जिमों को निकालकर फोटोग्राफी मय बरामदशुदा सामान की वीडियोग्राफी कराकर सेकेण्ड मोबाइल में पर्याप्त जगह न होने के कारण निरीक्षक अपराध द्वारा प्राईवेट ऑटो बुलाया गया। ऑटो में 06 अभियुक्तगण से साथ होमगार्ड हरिनाथ,

होमगार्ड दीनानाथ एवं आरक्षी विपिन कुमार बैठकर चले गए एवं ड्यूटी पर लगे अन्य पुलिसकर्मी थाना परिसर में मौजूद रहे और सेकेण्ड मोबाईल थाने पर खड़ी रही। मुल्जिमों को पेशी हेतु ले जाते समय याची के अभिरक्षा से अभियुक्ता ज्ञान्ती देवी ऑटो से कूदकर भाग गयी। यदि याची द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के प्रति सजग व सतर्क होकर मुल्जिमों को पेशी हेतु ले जाया गया होता तो अभियुक्ता उसकी अभिरक्षा से फरार नहीं होती, परन्तु याची की घोर लापरवाही एवं अकर्मण्डता के कारण अभियुक्ता पुलिस ऑटो से फरार हो गयी। इस कार्य के लिए याची की परिनिन्दा की गयी।

8. उपरोक्तानुसार विभागीय जाँच में दोषी पाचे जाने पर याची को कारण बताओ नोटिस प्रारंभिक जाँच रिपोर्ट के साथ प्रेषित किया गया, जिसका स्पष्टीकरण याची ने दिनांक 18.01.2025 को प्रस्तुत किया, जिसमें उसने तथ्यात्मक व विधिक आधार प्रस्तरवार उत्तर दिया, परन्तु आलोच्य आदेश दिनांकित 18.08.02025 में स्पष्टीकरण में कोई ठोस तथ्य/प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किये जाने का उल्लेख किया गया है और इस कारण से याची का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया और उसे प्रस्तावित परिनिन्दा के दण्ड से दंडित किया गया। उपरोक्त आदेश में आलोच्य अधिकारी ने याची के स्पष्टीकरण पर सूक्ष्मता एवं गहनता से विचार नहीं किया, न ही स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाये जाने का कोई कारण अथवा आधार अपने आदेश में दिया है जबकि डी0जी0 परिपत्र संख्या संख्या 29/22 दिनांक 14.09.2022 के प्रस्तर-3(14) में कहा गया है कि "दंडादेश निर्गत करते समय दंडाधिकारी द्वारा आरोपित अधिकारी/कर्मचारी के स्पष्टीकरण में उल्लेखित सभी तर्कों/बिन्दुओं पर टिप्पणी करते हुए मुखरित एवं स्पष्ट आदेश पारित किया जाना चाहिए। केवल यह लिखकर इतिपूर्ति न की जाये कि आरोपित अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तर्क बलहीन/मान्य नहीं हैं आदि" अतः आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आदेश पारित करते समय पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी सर्कुलर का अनुपालन नहीं किया गया है। तदनुसार आलोच्य आदेश अमुखरित एवं कारण रहित आदेश है।

9. यहाँ यह भी उल्लेखित है कि दंडादेश में कारणों को अभिलिखित करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसे **माननीय उच्च**

न्यायालय ने राजकुमार मेहरोत्रा बनाम स्टेट आफ बिहार व अन्य सुप्रीम 2006 679 (0एण्ड एस0एल)कोर्ट केसेज में यह अवधारित किया है कि–

> **"Without going into other issues raised, we are of the view that the impugned order of the respondent authority imposing punishment on the appellant cannot be sustained. Even if we assume that Rule 55-A which pertains to minor punishment was applicable and not Rule 55 which relates to major punishments, nevertheless Rule 55-a requires that the punishment prescribed therein cannot be passed unless the representation made pursuant to the show-cause notice, has been taken into consideration before the order is passed. There is nothing in the impugned order which shows that any of the several issues raised by the appellant in his answer to the show cause notice were, in fact, considered. No reason has been given by the respondent authority for holding that the charges were proved except for the ipse dixit of the disciplinary authority. The order, therefore, cannot be sustained and must be and is set aside."**

10. कारण एवं निष्कर्ष के विभेद को स्पष्ट करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **Union of India Versus Mohan Lal Kapoor, (1973) 2SCC 836,** में विधि व्यवस्था प्रदान की है कि–

> **"Reasons are the links between the materials on which certain conclusions are based and the actual conclusions. They disclose how the mind is applied to the subject matter for a decision whether it is purely administrative or quasi-judicial. They should reveal rational nexus between the facts considered and the conclusions ions reached,"**

11. विधि व्यवस्था **नन्दकिशोर प्रसाद बनाम बिहार राज्य 1978)एस एल0(591 0पृष्ठ सं0को0एलसु0** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि-

> **"अनुशासनिक कार्यवाही अल्प न्यायिक प्रकृति की होती है। जाँच अधिकारी का कोई भी निष्कर्ष ग्राह्य साक्ष्य पर आधारित होना अनिवार्य हो, अर्थात इतनी साक्ष्य सामाग्री पत्रावली पर उपलब्ध होना चाहिए, जो आरोपित सेवक के दोष को निश्चिततापूर्वक इंगित करे, संदेह को सबूत का स्थान लेने की अनुमति नही दी जा सकती है।"**

12. **क्रांति एसोसिएशन प्रा0लि0 एवं अन्य बनाम मसूद अहमद खान एवं अन्य, एस0एल0पी0 (सिविल) नं0 20428 दिनांक 08.09.2020,** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि–

> **"quasi-judicial authority must record reasons in support of its conclusions because reasons have virtually become as indispensable a component of a decision-making process as observing principles of natural justice by judicial, quasi-judicial and even by administrative bodies. It has also been held that insistence on recording of reasons is meant to serve the wider principles of justice that justice must not only be done it must also appear to be done as well."**

13. याची पर यह आरोप लगाया गया है कि पेशी पर ले जाने हुए उसकी अभिरक्षा से अभियुक्ता ज्ञान्ती देवी ऑटो वाहन से कूदकर भाग गयी। प्रारंभिक जाँच के दौरान एकत्रित साक्ष्य से स्पष्ट है कि जिस ऑटो में मुल्जिमों को बिठाया गया था, उसमें याची बैठा नहीं था, बल्कि अन्य पुलिसकर्मी बैठे थे और ऑटो में जगह कम होने के कारण याची एवं आरक्षी अनन्त कुमार दो पहिया वाहन से पीछे-पीछे गये थे और केवल कांस्टेबल तबस्सुम बानो व कांस्टेबल सुमन पाल तथा चालक अरविन्द यादव थाने पर रूके रहे। याची व आरक्षी अनन्त कुमार दोनों ने अपने प्रारंभिक जाँच के दौरान दिये गये बयान

में कहा है कि जब वे लोग सी0एच0सी0 बेरूआरबारी पहुँचे और याची अपने दो पहिया वाहन खड़ा कर रहा था तभी किसी अज्ञात व्यक्ति के दो पहिया वाहन पर बैठकर ज्ञान्ती देवी फरार हो गयी। फरार होते समय उसने नहीं देखा, जैसे ही गाड़ी खडी की तब तक अभियुक्ता फरार हो गयी थी। याची के इस बयान से केवल इतना प्रतीत होता है कि यदि उसने अपना दो पहिया वाहन ऑटो से लगाकर खड़ी किया होता तो सम्भवतः ज्ञान्ती देवी को भागने का अवसर नहीं मिलता, पर ऐसा न किया जाना मात्र याची की लापरवाही या सजगता में कमी माना जा सकता है, ऐसा उसने जानबुझकर अभियुक्ता को भागने की नियत से नहीं किया, इसलिए याची दुराचरण **(Misconduct)** का दोषी नहीं है।

> **Misconduct finds place in Stroud's judicial dictionary which is as fallows "misconduct means, misconduct arising from ill motive, act of negligence, errors of judgment, or innocent mistake, do not constitute such misconduct."**
>
> **"Misconduct in office" has been defined as-**
>
> **"Any unlawful behavior by a public officer in relation to the duties of his office, willful in character. Term embraces acts which the office holder had no right to perform, acts performed improperly and failure to act in the face of an affirmative duty to act."**

14. **इंस्टीट्यूट आफ चार्टेड फाइनेन्शियल एनालिसिस आफ इंडिया एण्ड अन्य बनाम काउंसिल आफ इंस्टीट्यूट आफ चार्टेड अकाउंट आफ इडिया एण्ड अन्य ए0आई0आर0 2007 एस0सी0 2091,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दुराचरण को परिभाषित करते हुए कहा है कि--

> **"Misconduct" inter alia, envisages breach of discipline, all though it would not be possible to lay down exhaustively as to what would constitute conduct and indiscipline, which, however, wide enough to include wrongful omission or ommission whether done or omitted to be done intentionally or unintentionally. It means "improper behaviour, intentional wrong doing on**

deliberate violation of a rule of standard or behaviour." Misconduct is a transgression of some established and definite rule of action, where no discretion is left except what necessity may demand, it is a violation of defined law or a forbidden act. It differs from carelessness misconduct, even if it is an offence under the Indian penal Code, it equally misconduct. Acquisition of additional qualification (degree) would not amount to misconduct or professional misconduct."

15. दुराचरण के बारे में **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टान्त यूनियन आफ इण्डिया बनाम जे0 अहमद ए0आई0आर0 1979 एस0सी0-1022** के मामले में विधि सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है जिसके सुसंगत अंश मिन्मवत् हैं-

"It is, however, difficult to believe that lack of efficiency in discharge of duty attached to public office would ipso facto constitute misconduct. There may be negligence in performance of duty or error of judgement in evaluating the developing situation and there may be negligence in discharge of duty would not constitute misconduct. The deficiencies would not constitute misconduct unless the consequences directly attributable to negligence would be such as to be irreparable or the resultant damage would be so heavy that the degree of culpability would be very high. An error can be indicative of negligence and the degree of culpability may indicate the grossness of the negligence. Carelessness can often be productive of more harm that deliberate wickedness or malevolence"

उपरोक्त विवेचना से विदित होता है कि आलोच्य आदेश दिनांकित 18.08.2025 मुखरित, कारण रहित होने का साथ-साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किया गया है, जो आपास्त किये जाने

योग्य है, इसी क्रम में याची के विरुद्ध पारित अपील आदेश दिनांकित 11.11.2025 आलोच्य आदेश की भाँति कायम रहने योग्य नहीं है, क्योंकि प्रारंभिक आदेश विधिसम्मत नहीं है, तो उसके पश्चात समस्त आदेश भी विधिसम्मत नहीं माने जाएँगे।तदनुसार याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

यह याचिका स्वीकार की जाती है। याची के विरुद्ध पारित आलोच्य दंडादेश आदेश दिनांकित 18.08.2025 (संलग्नक-1) एवं अपीलीय आदेश दिनांकित 11.11.2025 (संलग्नक-2) आपास्त किये जाते हैं। विपक्षीगण को निर्देशित किया जाता है कि निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने के 03 माह के अन्तर्गत उपरोक्त निरस्त आदेश के आधार पर याची के रोके गए समस्त पारिणामिक सेवा लाभ उसे प्रदान कराया जाय।

उभय पक्ष अपने-अपने वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

ह0/
(अनिता राज)
सदस्य (न्या0)

निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

ह0/
(अनिता राज)
सदस्य (न्या0)

दिनांक 19.07.2026
बी.के.यादव(स्टेनो)